न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 24/21 GCMS NO 2021/41

अपील संख्या – 25/21 GCMS NO 2021/38

1. मु0सुगनी बेवा परमा (मृतक)
   1/1. माया पुत्री सुगनी बेवा परमा
   1/2. मुस0द्रोपती पुत्री सुगनी बेवा परमा
   1/3. सूरज पुत्री सुगनी बेवा परमा
2. इमरत
3. गोपाल पुत्रान परमा
4. पिन्टू पुत्र श्यामलाल सभी जातियान माली निवासीयान मैगजीन कस्बा करौली तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. भगवती पुत्र कलुआराम
2. श्यामलाल पुत्र रघुनाथ जातियान कोली निवासीयान हाल खिडकिया बाहर करौली तहसील व जिला करौली
3. प्रेम सिह पुत्र भौरया जाति कुम्हार निवासी होली खिडकिया करौली तहसील व जिला करौली
4. नरेश कुमार पुत्र विनोद कुमार ज़ाति महाजन निवासी होली खिडकिया करौली तहसील व जिला करौली
5. मुकेश गुर्जर
6. पत्ते गुर्जर
7. दिनेश गुर्जर पुत्रान फूल सिह जातियान गुर्जर निवासी राजपुर तहसील व जिला करौली

रेस्पो0

(अपीले विरूद्व मु0नं0 10/20 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.3.21 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री रामजीलाल अग्रवाल

अभिभाषक रैस्पो0 श्री लियाकत अली

दिनांक 08.09.2025

निर्णय

प्रस्तुत दोनो अपीले अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 17.3.21 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली पेश की है ।

उक्त दोनो अपीलो के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांटगण द्वारा वाद पत्र इस्तनाई दवामी व हटाये जाने निर्माण इस आशय का पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

किया कि कस्बा करौली तहसील करौली मे आराजी ख0न0 6311 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा पर वादीगण सन 1992 से लगातार वास्तविक कब्जे काश्त करते चले आ रहे है। और आज तक कब्जे मे है। तथा 3/4 हिस्से की हकूक खातेदारी है तथा शेष 1/4 हिस्से की भूमि पर भी वादीगण का वास्तविक कब्जा बतौर मुर्शतका खातेदार ही है। शेष 1/4 हिस्से के संबंध मे प्रेम पुत्र भौरया एवं हरिबाई बेवा भौरया जाति कुम्हार के जमाबंदी इन्द्राज रह जाने से नियत मे बदनियती आ गई और वे वारविनाय वदयान्ती प्रतिवादीगण को अवैध रूप से हस्तान्तरण करने का प्रयास कर रहे है। जो स्ट्रेन्जर (अजनबी) है तथा उक्त अवैध हस्तान्तरण बताते हुए प्रतिवादीगण भूमि पर वादीगण के मुर्शतका कब्जे काश्त पर व्यवधान डालने के लिए ऐलानिया धमकी दी रहे है। वादीगण निर्बल अनपढ़ कृषक है उनके धनबल व ताकत के आधार पर वगैर किसी अधिकारी के जमीन पर वादीगण के कब्जे मे व्यवधान डालने से अपूर्णनीय क्षति है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण व उसके परिजन व सहयोगीजन को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि विवादित भूमि खसरा न0 6311 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा वाके कस्बा करौली के सम्पूर्ण रकबे पर अथवा किसी भी भाग पर वादीगण के मुर्शतका कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं पहुचावे न ही अन्य किसी से पहुँचाये। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलाटगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 3 डिकी किया जाकर वादीगण को आराजी ख0न0 6311 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा कस्बा करौली के प्रतिवादी न0 3 व 6 के 1/4 हिस्से भूमि व शमूल चाह के कब्जा काश्त मे मदालखत मजाहमत नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा यह दोनो अपीले इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपीले पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी [illegible] तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपीलो पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजो का मूल्यांकन विधि अनुसार ना करके निर्णय व डिकी पारित करने मे भूल की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी ख0न0 6311 मे राजस्व रिकार्ड के अनुसार 3/4 हिस्सा वादीगण का मानते हुए मुर्शतका कब्जा संयुक्त भाग से तय करने के उपरान्त भी वादीगण के हक मे डिकी पारित ना करने मे कानूनी भूल की है। इसलिए निर्णय व डिकी अधिनस्थ न्यायालय निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा ना क[illegible] जुबानी साक्ष्य पर भरोसा कर तनकी संख्या 2 अपीलांटगण/वादीगण के विरूद्व तय करना न्यायहित मे गलत है। इसलिए निर्णय व डिकी अधिनस्थ न्यायालय निरस्त होने योग्य है। क्योकि प्रतिवादी न0 3 प्रकरण हाजा मे बतौर स्ट्रेन्जर है। इसलिए न्यायहित मे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से बंटवारा ना होने तक पाबंद किये जाने योग्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

है। इसलिए जैर अपील निर्णय निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 3 को तय करते समय पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड की अनदेखी करते हुए दावा वादीगण खारिज कर प्रतिवादी न0 3 ता 6 के 1/4 हिस्सा भूमि समूल चाह मे मदालखत मजाहमत नही करने के लिए काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने मे कानूनी भूल की है। क्योकि राजस्व रिकार्ड मे वादीगण का 3/4 व प्रतिवादी रेस्पो0 का 1/4 हिस्सा प्रमाणित होने से कब्जा हर इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा होना कानूनी तौर पर मान्य होते हुए भी दावा वादीगण खारिज कर काउन्टर क्लेम प्रतिवादी डिक्री करने मे कानूनी भूल की है। इसलिए निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। बयनामा 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार प्रेमसिह, हरबाई पक्षकार बनाये गये है तथा फूल सिह ने दौराने दावा नरेश पुत्र विनोद महाजन के विक्रय का दी है जो दावा हाजा मे आवश्यक पक्षकार होने के कारण अपील मे प्रभावी पक्षकार है और ताकत के बल पर जमीन विवादित को अपीलांट की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर ताकत के बल पर छीनने पर आमादा है और इनके हक मे गैर कानूनी तरीके से काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने से अपीलाटगण को भारी आघात है और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री व निर्णय एवं काउन्टर क्लेम निरस्त कर नरेश पुत्र विनोद महाजन को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से अजनबी व्यक्ति होने के कारण पाबंद कराने के अधिकारी है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर रेस्पो0 संख्या 4 व 5 लगायत 7 के पिता फूल सिह के हक मे पारित काउन्टर क्लेम की डिक्री निरस्त फरमाई जावे तथा लॉकडाउन के समय को कन्डोन कर अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट/वादीगण का कब्जा आराजी मे व समूल चाह हिस्सा 3/4 मे ही है जबकि आराजी के हिस्सा 1/4 व शमूल चाह के प्रारंभ से ही पूर्व खातेदारान प्रेमबाई व हरबाई प्रतिवादी न0 4 व 5 का निरन्तर चला आ रहा है और शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे थे। प्रतिवादी न0 4 व 5 द्वारा अपना हिस्सा 1/4 जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 30.3.07 को प्रतिवादी न0 3 को बिव ऐवज 151000/-रूपये मे कर कब्जा प्रतिवादी न0 3 को संभलवा दिया है। जिसका सम्पूर्ण ज्ञान वादीगण/अपीलांटगण को रहा है। अपीलांट/वादीगण को कोई आपत्ति प्रतिवादी संख्या 3 से नही रही है। वक्त खरीद से ही प्रतिवादी न0 3 अपने 1/4 व समूल चाह पर शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। खरीद के पश्चात ही आराजीयात हिस्सा 1/4 की खातेदारी अधिकार प्रतिवादी न0 3 को प्राप्त हो चुके है। जिस पर आपत्ति करने का अपीलाट/वादीगण को कोई अधिकार नही है। वादीगण का हिस्सा 1/4 पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नही रहा है तथा प्रतिवादी न0 4 व 5 द्वारा प्रतिवादी न0 3 को किये गये हस्तान्तरण का प्रारंभ से ही ज्ञान रहा है। वादीगण/अपीलांटगण को किसी प्रकार की कोई अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना नही है बल्कि वादीगण प्रतिवादी न0 3 के हिस्से 1/4 मे मदालखत पैदा करने पर आमादा होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे काउन्टर क्लेम पेश किया गया था। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने बराबर हिस्सा राशि खर्च कर पुख्ता चाह का निर्माण कराया था जिसे प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा घरेलू आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु विधिवत रूप से प्रतिफल प्राप्त कर आराजी मे अपना

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

हिस्सा मय चाह को प्रतिवादी न0 3 को हस्तान्तरित किया गया है जिसकी जानकारी वादीगण को शुरू से ही थी। वादीगण/अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण को नाजायज रूप से परेशान करने एवं प्रतिवादी संख्या 3 को उसके कब्जे काश्त मे मदालखत करने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे काउन्टर क्लेम पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यो का विधिवत विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अपीलांट/वादीगण अपने वाद पत्र को साबित करने मे असफल रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तनकी संख्या 1 को वादीगण के हिस्से 3/4 की हद तक सिद्व माना है इसी प्रकार तनकी संख्या 2 ता 3 को प्रतिवादी/रेस्पो0 के पक्ष मे साबित माना है। इससे सिद्व है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही वादीगण का वाद पत्र खारिज कर प्रतिवादी संख्या 3 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वादीगण को विधिवत रूप से स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत 2060 से 2063 मे विवादित आराजीयात ख0न0 6311 मु0सुगनी बेवा परमा व अमृतलाल,गोपाल पिसरान परमा हिस्सा 9/16, पिन्टू पुत्र श्यामलाल नाबा.संरक्षिका माता सूरजबाई बेवा श्यामलाल हिस्सा 3/16 जाति माजी सा. देह प्रेम पुत्र भौरया व हरबाई बेवा भोरया जाति कुम्हार सा.देह हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। खसरा न0 6311 सहखातेदार प्रेम पुत्र भौरया व हरबाई बेवा भोरया द्वारा अपने हिस्से की 1/4 आराजी को फूल सिह पुत्र कमल सिह जाति गुर्जर निवासी होली खिडकिया करौली को विक्रय किये जाने से नामा0 संख्या 2608 दिनांक 19.4.07 के द्वारा फुल सिह पुत्र कमल सिह के नाम खातेदारी मे दर्ज हुई है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2060 से 2063 पटवार क्षेत्र करौली 9 मे अंकित नोट से स्पष्ट है। खातेदार फूल सिह पुत्र कमल सिह द्वारा अपने हिस्से की क्रय शुदा आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.6.13 को प्रतिवादी संख्या 3 नरेश पुत्र विनोद कुमार महाजन को विक्रय किये जाने से भूमि की खातेदारी जरिये नामा0 संख्या 3945 दिनांक 17.7.13 के द्वारा नरेश कुमार पुत्र विनोद कुमार महाजन के नाम स्वीकार हुआ है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071 मे अंकित नोट से स्पष्ट है। चूकि उक्त आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हस्तान्तरित हुई है जिसके आधार पर ही केता को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात पर प्रतिवादीगण धनबल एवं ताकत के बल पर व्यवधान डालने पर आमादा है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। इस तथ्य को साबित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 कायम कर वादी/अपीलांट को साबित करने का भार निहित किया गया था। जिसके समर्थन मे वादी द्वारा किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया बल्कि पी डब्लू सुगनी ने अपनी जिरह मे अंतिम लाईन मे स्वीकार किया है कि मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

भूमाफियाओ के संरक्षण मे प्रतिवादी संख्या 3 की जमीन हडपना चाहती हूँ। इस प्रकार अपीलांट इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय मे सिद्व नही कर पाये है ना ही अपील के माध्यम से उनके द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज पेश किया है जिससे की यह साबित हो सके कि रेस्पो/प्रतिवादीगण वादीगण/अपीलांट के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा करते हो। इस प्रकार वादी अपने वाद पत्र को साबित करने मे असफल रहने के कारण एवं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम की स्वीकारोक्ति पी डब्लू सुगनी के अभिवचनो से होने के कारण ही अधिननस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तनकीवार विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के प्रकरण संख्या 10/2020 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.3.2021 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलियो मे पृथक पृथक संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर